(116)

संख्या–677 / XV-1/06-2(68)/2005

प्रेषक,

नवीन चन्द्र शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग,
गोपेश्वर चमोली।

देहरादून: दिनांक 31 जनवरी, 2006

पशुपालन अनुभाग–1

विषय– पशुधन प्रसार अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का विवरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर निदेशक, पशुपालन विभाग के पत्र संख्या–1185 / स्था–एक / प0प्र0अ0–जाब चार्ट / 2005 दिनांक 22 अक्टूबर, 2005 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारियों के कार्य एवं दायित्वों का विवरण संलग्न कर प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है, कृपया तदनुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न– उक्तानुसार

भवदीय,

(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव

संख्या–677 (1) / XV-1/06–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. उपनिदेशक, कुमॉऊ मण्डल नैनीताल / गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. उपनिदेशक, सधन भेड़ एंव ऊन अनुसंधान संस्थान, पशुलोक– अल्मोड़ा।
3. उपनिदेशक, आई0सी0डी0पी0, हल्द्वानी।
4. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एंव मानव विकास शाखा उत्तरांचल शासन।
6. निजी सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।

आज्ञा से,

(जे0पी0 जोशी)
उप सचिव

(115)

संख्या 677(1)/XV-1/2(68)2005 दिनांक 31 ,जनवरी 2006

पशुधन प्रसार अधिकारियों के कर्तव्य एव उत्तरदायित्वों का विवरण

1. विभागीय संस्थाओं/क्षेत्र भ्रमण पर बीमार पशुओं/पक्षियों की आवश्यकतानुसार प्राथमिक चिकित्सा/उपचार करना ।
2. विभागीय संस्थाओं के मुख्यालय तथा क्षेत्र भ्रमण पर अनैच्छिक नर पशुओं का बधियाकरण करना।
3. मुख्यालय/क्षेत्र भ्रमण पर, पशु/पक्षियों के संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु रोग निरोधक टीकाकरण करना ।
4. संक्रामक बीमारियों के संक्रमण (Out Break) होने पर उसके निवारण के उपाय करना तथा उच्चाधिकारियों को सूचित कर उनके मार्ग दर्शन में कार्य करना ।
5. अपने कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत गंभीर रोगी पशुओं को आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा/उपचार सेवायें उपलब्ध कराना।
6. अपने मुख्यालय तथा क्षेत्र भ्रमण पर कृत्रिम गर्भाधान कार्य करना,गर्भ परीक्षण करना, संतति निरीक्षण करना तथा तद्नुसार अभिलेख तैयार करना ।
7. आन्तरिक अंगो को छोड़कर लघु शल्य चिकित्सा (minor operetion) द्वारा पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा/उपचार करना ।
8. भेड़ों एवं बकरियों को ड्रेचिंग व डीपिंग कराना ।
9. अपने कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत पशुधन विकास कार्यक्रमों की प्रगति सूचनायें, आकड़े आदि संकलित करना एवं विकास सम्बन्धी अन्य कार्यो के निरीक्षण/अनुश्रवण/समीक्षा/हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के भ्रमण के समय उनके साथ रहना तथा अपेक्षित सहयोग प्रदान करना ।
10. विकास मेला, पशु मेला, पशु प्रर्दशनी, पशु रैली, टीकाकरण कैम्प हेतु प्रचार प्रसार करना उसके लिये अनुकूल वातावरण बनाना तथा सम्पन्न कराने में उच्चाधिकारियों का सहयोग करना।
11. मादा पशुओं की जनन क्षमता का पूरा उपयोग करने हेतु बांझपन निवारण कैम्प आयोजित करना तथा पशुचिकित्सा अधिकारी के मार्ग निर्देशन मे पीड़ित पशु की प्राथमिक चिकित्सा/उपचार करना ।
12. पशुपालकों को पशुओं के रखरखाव, पालन पोषण तथा सन्तुलित पशुआहार के सन्दर्भ में जानकारी देना ।
13. चारा विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत पशुपालकों को हरे चारे के महत्व की जानकारी देना , कृषकों का चयन कर चारा प्रर्दशन करना, यथा समय उन्नत चारा बीज/चारा जड़ें /चारा वृक्ष उपलब्ध कराना तथा ग्राम पंचायतों/बन पंचायतों /स्वंय सेवी संस्थाओं द्वारा विकसित चारा बनों/चारागाहों का समय समय पर अनुश्रवण/निरीक्षण करना तथा उसकी प्रगति उच्चाधिकारियों को उपलब्ध कराना।
14. अपनी पदस्थापना से सम्बन्धित संस्थाओं की पंजिकाओं एवं अभिलेखों को निर्धारित प्रारूपों पर तैयार करना तथा चार्ट डिस्प्ले तथा प्रगति सूचनायें कार्यक्रमवार दर्शाना।

क्रमश: - 2

(114)

वीर्य संग्रह केन्द्रों पर साण्डों का रखरखाव, वीर्य संग्रह परीक्षण, डाइल्यूसन प्रिजर्वेसन तथा वितरण में संग्रह केन्द्र के प्रभारी को सहयोग प्रदान करना ।

16. राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों पर पक्षियों का रखरखाव, अण्डा उत्पादन, हैचिंग, रियरिंग, टीकाकरण तथा विपणन आदि की व्यवस्था करना, रोग निदान करना तथा मृत्यु की दशा में पशुचिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में शव विच्छेदन (Postmortem) करना ।

17. इच्छुक कुक्कुट पालकों को प्रशिक्षण के लिये प्रेरित करना, तकनीकी प्रशिक्षण देना कुक्कुट इकाई की स्थापना कराना, उनका अनुसरण/निरीक्षण करना तथा अण्डों व चूजों के विपणन में सहयोग करना ।

18. राजकीय शशक प्रक्षेत्रों पर शशकों का रखरखाव, टीकाकरण, प्राथमिक चिकित्सा/उपचार, प्रजनन तथा विपणन आदि कार्य करना ।

19. राजकीय भेड़/बकरी प्रक्षेत्रों पर भेड़ों/बकरियों का रखरखाव, टीकाकरण, प्राथमिक चिकित्सा/उपचार, प्रजनन, ऊन शियरिंग ग्रेडिंग तथा विपणन आदि कार्य करना ।

20. राजकीय सूकर प्रक्षेत्रों पर सूकरों का रखरखाव, टीकाकरण, प्राथमिक चिकित्सा/उपचार, प्रजनन तथा विपणन आदि कार्य करना ।

21. क्षेत्र के इच्छुक शूकर पालकों को प्रशिक्षण के लिये प्रेरित करना, उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण देना, सूकर इकाइयों की स्थापना करना , उनका अनुसरण/निरीक्षण करना तथा उनके विपणन में सहयोग करना ।

22. राजकीय दुग्धशाला प्रक्षेत्रों पर पशुओं के रखरखाव, फीडिंग, रियरिंग, टीकाकरण, प्राथमिक चिकित्सा ,पशु प्रजनन, संतति परीक्षण, दुग्ध उत्पादन, अभिलेखन तथा विपणन आदि कार्य करना।

23. क्षेत्र में अग्निघात, विद्युत आघात एवं आकस्मिक दुर्घटना में घायल पशु का तुरन्त उपचार करना तथा मृत्यु की दशा में उसके शव विच्छेदन हेतु पशु चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराना ।

24. क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान मैदानी जनपदों में 10 दिन व पर्वतीय जनपदों में 15 दिन अपने क्षेत्र में अवश्य रात्रि विश्राम करेगा ,तदनुसार कार्य की प्रगति, गन्तव्य स्थान, मुख्यालय से दूरी, प्रस्थान का समय तथा वापसी का समय सूचनापट तथा दैनिक डायरी में उल्लेख करना ।

25. पशुपालकों की मांग पर उन्नत नस्ल के गाय साण्डों, भैसा साण्डों, बकरा, भेड़, सांड, सुअर तथा सूकर साण्ड आदि अंशदान पर उपलब्ध कराना ।

26. अपने कार्य क्षेत्र के अर्न्तगत प्रतिवर्ष ग्रामवार पशुओं की गणना करना तथा नियोजन हेतु आंकडें जुटाना।

27. पशुक्रूरता निवारण के सम्बन्ध में पशुधन प्रसार अधिकारी पशुचिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को आवश्यक सूचना एवं सहायता प्रदान करेंगे।

28. प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, भूस्खलन, आदि के समय आवश्यकतानुसार राहत कार्य करना तथा उच्चाधिकारियों को सूचित करना ।

29. समय समय पर बैंक द्वारा पोषित परियोजनाओं में पशुधन विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन करना , स्वंय सहायता समूह गठित करना तथा आवश्यक कार्यो का सम्पादन करना।

क्रमशः-3

30. मुख्यालय/क्षेत्र में सम्पादित कार्य प्राथमिक चिकित्सा/उपचार, कृत्रिम गर्भाधान, प्राकृतिक गर्भाधान, टीकारण, बधियाकरण, ड्रेचिंग, डीपिंग हेतु निर्धारित सेवाशुल्क (Levy) एंव वैक्सीन, चारा, दाना, ऊन, खाल, हड्डी, अण्डा, मांस इत्यादि मदों की विक्री से प्राप्त धनराशि राजकीय कोष में जमा करना। तथा जमा की गयी धनराशि व अवशेष धनराशि का विवरण पशु चिकित्साधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को मासिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में रखे गये अभिलेख भी पशुचिकित्साधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को अवलोकित कराये जायेंगे।

31. सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पदित करेंगे।

32. पशुधन प्रसार अधिकारी सम्बन्धित पशुचिकित्सालय के पशुचिकित्साधिकारी/जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के नियंत्रणाधीन होंगे, तथा उनके द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्देशानुसार सम्पादन करेंगे।

33. शासन/विभाग/जनपद के उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्यो का सम्पादन नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।

34. अपने कर्तव्य एंव उत्तरदायित्वों के सम्पादन हेतु पशुधन प्रसार अधिकारी अपनी संस्था से सम्बन्धित निम्नलिखित पंजिकाओं का उपयोग करेगा :–

1–वाहय रोगी (Out Patient) पंजिका
2–दैनिक औषधि वितरण पंजिका (Daily Issue)
3–औषधि पंजिका (Medicine Register)
4–स्कन्ध सामग्री पंजिका
5–निष्प्रोज्यसामग्री (Dead Article) पंजिका
6–वैक्सीन/सीरा वैक्सीन पंजिका
7–टीकारण (Vaccination) पंजिका
8–बाहय संक्रमण (Out Break) पंजिका
9–रोकड़ बही (Cash Book/Cash Receipt)
10–कृत्रिम गर्भधान(गाय/भैंस) पंजिका
11–वीर्य/तरल नत्रजन प्राप्ति पंजिका
12–सांड पंजिका
13–संतति पंजिका
14–प्रगति पंजिका
15–पशुगणना पंजिका
16–दैनन्दिनी (Tour Dairy) पंजिका
17–उपस्थिति पंजिका (Attendence Register)
18–ब्रीडिंग एंव कवरिंग रजिस्टर
19–कुक्कुट विकास सम्बन्धी पंजिका
20–चारा विकास सम्बन्धी पंजिका

(जे0पी0जोशी)
उप सचिव